

सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण



औद्योगिक क्षेत्र-सतहरिया, जौनपुर

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)



सतहरिया-

05454-273304

05454-273669

पत्रांक:

दिनांक: 3-12-2016

नीलामी सूचना

औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-231 के उत्तरी सेक्टर में स्थित रोड नं०-3 पर 15.50X117 मीटर आकार का एक व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-2, क्षेत्रफल 1813.50 वर्गमीटर को शापिंग प्रयोजनार्थ 90 वर्ष की लीज पर नीलामी की जानी है। इच्छुक एकल स्वामित्व फर्म, साझीदारी फर्म, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कम्पनी, निर्धारित धरोहर धनराशि का एफ०डी०आर० जमा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी दिनांक 19-12-16 को 3:00 PM कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल, जौनपुर में आयोजित की जायेगी।

नीलामी की आवश्यक शर्तें निम्नवत हैं:-

1. भूखण्ड का न्यूनतम रिजर्व प्राइस (Minimum Reserve Price) रू० 8700.00 प्रति वर्गमीटर है। यह दर नीलामी बोली प्रारम्भ करने की दर होगी।
2. प्रत्येक बोलीदाता को रू० 1/- का रसीदी टिकट तथा रू० 100/- के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर, बोली की बैधता करना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक बोलीदाता को प्रोसेसिंग शुल्क के मद में रू० 5000.00 (Non Refundable) की धनराशि ड्राफ्ट के द्वारा सीडा के पक्ष में जौनपुर/सतहरिया शाखा पर देय, नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व जमा करना होगा।
4. प्रत्येक बोलीदाता हेतु धरोहर धनराशि रू० 1.58 लाख होगी। बिना धरोहर धनराशि के बोलीदाता को बोली में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। धरोहर धनराशि एफ०डी०आर० (राष्ट्रीयकृत बैंको का) के रूप में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीडा के पद नाम से बन्धक होगा, ही मान्य होगा।
5. आरक्षण धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत आवंटन तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा करना होगा। शेष 75% धनराशि 10 छमाही किस्तों में 12% ब्याज (समयान्तर्गत भुगतान के दशा में 2 प्रतिशत की छूट) के साथ जमा करना होगा।
6. भूखण्ड का उपयोग शापिंग हेतु किया जायेगा।
7. भूखण्ड पर नौ माह में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना तथा 36 माह में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में तत्समय प्राधिकरण के वाणिज्यिक दर का 3% समयवृद्धि शुल्क वार्षिक देय होगा अथवा औचित्य के आधार पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
8. भूखण्ड का अधिकतम भू-आच्छादन 40% तक किया जा सकता है तथा तल क्षेत्रानुपात (एफ०ए०आर०) 125 तक अनुमन्य है।
9. भवन मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराकर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।
10. भूखण्ड जहाँ है/जैसा है की स्थिति में आवंटित किया जायेगा।
11. भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर घट-बढ़ सकता है। तदनुसार अनुपातिक राशि घट-बढ़ सकती है।
12. बोलीदाता को अपने संविधान से सम्बन्धित दस्तावेज जमा किया जाना आवश्यक होगा।
13. नीलामी बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीडा/जिलाधिकारी, जौनपुर में निहित है।
14. नीलामी के संबंध में अन्य जानकारी औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया स्थित सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।

(भानु चन्द्र गोस्वामी)

जिलाधिकारी/

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीडा, जौनपुर।

संख्या- 458CV / वा०भू०सं०-एस-2 / 2016-2017

तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान/जनसंदेश जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना अपने समाचार पत्र के अगले संस्करण में सरकारी दर पर न्यूनतम स्पेश में प्रकाशित कर, प्रकाशित समाचार पत्र की 02 प्रतियों के साथ बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. सिसनेट सिस्टमस, पता-2ए, म्योर रोड, इलाहाबाद।
3. सीडा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

(भानु चन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीडा, जौनपुर।